कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या :......100....../2016-17 2017
लेख्य प्रकार–......संदेहात्मक जमाबंदी

3.11.20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लंबित वाद के विरूद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016–17 में किया गया था। कार्यालय के नये भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखके अन्यंत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के पत्रांक–1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निदेशन भू–अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0–03–खा0म0 नीति–119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुदेश/निदेश के अनुपालन में गै0 म0 खास भूमि के विरूद्ध कायम की गई जमाबंदीयों की जाँच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 म0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा	जमाबंदीदार रैयत का नाम	पंजी–2 का पृ0सं0/भाग
कोनारबेटू	01	–	0.74	कविता पति दुखद मिमा	135/I

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।

अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरूद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक....23.11.20.....को उपस्थापित करें।

03/11/2020
अंचल अधिकारी
बरकट्ठा

23.11.20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक–04/स0भू0 (दिशा–निर्देश)–95/2016–2074, दिनांक–13.05.16 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जाँच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरूद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955–56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0....135/I.....बनाम....कविता पति दुखद मिमा.....को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की....अनुशंसा.....की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही को भेजें।

23/11/2020
अंचल अधिकारी
बरकट्ठा

Scanned by CamScanner

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम – कलीमा जति खुरस्द मिया
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण – ओ० ४०१८

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कोनहराखुर्द	99	1	—	0.74

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं०–135 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 1978-79
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम – ओ० ४०१८
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है – आदेश दर्ज नहीं है।
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम ——
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती ——
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तातरण पंजी) पंजी II से
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंतिम लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
	—	—	—

[signatures] 23/11/...

<u>संदिग्ध / अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला</u>

<u>चेक लिस्ट</u>

1. जिला एवं अंचल का नाम – हजारीबाग - बरकट्ठा
2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम– कलिया - पति खुरसद मियां

ख) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी–

मौजा	थाना न0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
कोनहरा खुर्द	99	1	—	0.74	गै० म० आम	मौजा कोनहरा खुर्द के गै० म० आम खाता-[illegible] खतियानी किस्म जंगल है।

3. भूमि का वर्तमान स्वरुप– परती–
4. अवैध जमावन्दी पंजी II में कब से संधारित है– 1978-79
5. उक्त जमाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी / पदाधिकारी का नाम– आदेश प्राप्त नहीं है।

(पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी / कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।

6. नामान्तरण / दाखिल --खारिज उपरान्त संधारित जमावन्दी के मामलों में मूल जमावन्दी रैयत की विवरणी–
7. अवैध जमावन्दी कायम किये जाने का आधार
   - i) अनिबंधित सादा हुकुमनामा
   - ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं0 एवं पारित आदेशानुसार)
   - iii) अवैध भू–वन्दोवस्ती (वाद सं0 के साथ)
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/– रूपये कम या इससे अधिक)
9. अवैध जमावन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है:–
   - i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से –
   - ii) अंचल /अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से –
   - iii). दाखिल–खारिज / भू–हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से –
10. क) अवैध जमावन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है?
11. क्या दिनांक दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है?
12. वर्ष 1954–55 में हुए रिटर्न युझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमावन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था?
13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित– मौजा कोनहरा खुर्द के गै० खाता [illegible] खतियानी किस्म जंगल है अतः जमाबन्दी रद्द किया जा सकता है।
14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरान्त मन्तव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन – [illegible]

[illegible signatures] 23/11/[illegible]

अंचल अधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता अनुमंडल पदा0 अपर समाहर्ता उपायुक्त

Scanned by CamScanner